क्र०सं०	मानदंड	पुराने	संशोधन
6.	परियोजना लागत	व्यक्तियों के मामले में इस योजना के अंतर्गत परियोजना की लागत 1 लाख रुपये तक की होगी। यदि दो या इससे अधिक पात्र व्यक्ति एक साथ भागीदारी करते हैं तो इस योजना के अंतर्गत परियोजना की लागत 5 लाख रुपये तक होगी।	कारोबार क्षेत्र के लिए 1 लाख रुपये। अन्य क्रियाकलापों हेतु 2 लाख रु० ऋण मिश्रित प्रकृति का होना चाहिए। यदि 2 या अधिक पात्र व्यक्ति किसी परियोजना की भागीदारी में हिस्सेदार बन जाते हैं तो इसमें 10.00 लाख रु० तक की परियोजना शामिल होगी, व्यक्तिगत रूप में स्वीकृतियों तक सीमित रहेगी।
7.	राजसहायता एवं सीमांत राशि	राजसहायता परियोजना लागत के 15% तक सीमित होगी, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति उद्यमी 75000/-रु० की राशि के अधीन होगी। उद्यमी से सीमांत राशि परियोजना लागत के 5% ली जाएगी।	(i) राज सहायता प्रति उद्यमी के लिये परियोजना लागत की 15% तक सीमित होगी, बशर्ते कि उच्चतम सीमा 7500 रु० तक हो। बैंकों को उद्यमियों से परियोजना लागत का 5% से 16.25% तक भिन्न-भिन्न सीमांत राशि लेने की अनुमति होगी ताकि कुल राज सहायता तथा सीमांत राशि परियोजना लागत के 20% के बराबर हो सके। (ii) 15,000 रुपये की अधिकतम सीमा शर्त पर परियोजना लागत के 15% की दर पर राजसहायता। उद्यमियों से सीमांत राशि का अंशदान परियोजना लागत का 5% से 12.5% तक भिन्न हो सकता है ताकि राजसहायता का जोड़ तथा सीमांत राशि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परियोजना लागत का 20% के संतुल्य किया जा सके।
8.	कोलेटरल	इस क्रम के लिए प्रतिभूति गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। केवल वही परिसंपत्तियां जो इस योजना के अंतर्गत सृजत की गई हैं बैंक के पास बंधक रहेगी।	एक लाख रु० तक की राशि की परियोजना के लिए कोई कोलेटरल नहीं है। साझेदारी परियोजना के मामले में भी कोलेटरल से छूट परियोजना में सहभागी प्रत्येक व्यक्ति के लिये 1 लाख रु० तक सीमित होगी।
9.	ब्याज की दर तथा वसूली सारणी	सामान्य बैंक ब्याज दर लगाई जाएगी। 6 से 18 महीनों के प्रारंभिक अधिस्थगन के बाद वसूली की अवधि 3 से 7 वर्ष तक की होगी।	सामान्य दर पर ब्याज वसूल किया जायेगा। अदायगी की समयावधि प्रारंभिक अधिस्थगन, जिसे निर्धारित किया जा सकता है, के पश्चात 3 से 7 वर्ष की अवधि के बीच होगा।

उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग

*394. **प्रो० रामबख्श सिंह वर्मा:**
श्रीमती मालती शर्मा:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों की संख्या कितनी है और उनका जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए उपाय करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में 3,42,812 पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयां थीं। इकाइयों के जिले-वार संख्या संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। **(नीचे देखिए)**

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार द्वारा लघु उद्योगों का संवर्धन किये जाने हेतु निम्नलिखित नए उपाय पर विचार किया गया है—जो कि ऋण के प्रवाह, प्रक्रिया का सरलीकरण किये जाने, कर छूट/रियायत के कार्य क्षेत्र को विस्तृत करने, अवसंरचनात्मक का विकास, प्रौद्योगिकी का विकास करने, तथा लघु उद्योग उत्पादों की गुणवत्ता तथा प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार लाये जाने से संबंधित है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

31 मार्च, 1998 तक उत्तर प्रदेश में पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों की जिलेवार संख्या

क्र०सं०	जिले का नाम	31 मार्च, 98 तक इकाइयों की सं०
1.	सहारनपुर	7099
2.	हरिद्वार	3659
3.	मुजफ्फरनगर	10540
4.	मेरठ	21678
5.	गाजियाबाद	12558
6.	बुलन्दशहर	13272
7.	गौतमबुद्ध नगर	453
8.	बागपत	378
9.	आगरा	9072
10.	अलीगढ़	7742
11.	मथुरा	6481
12.	मैनपुरी	2541
13.	एट्टा	4427
14.	फिरोजाबाद	3590
15.	महामाया नगर	105
16.	बरेली	9735
17.	बदायुं	5324
18.	पीलीभीत	4228
19.	शाहजहांपुर	5252
20.	मुरादाबाद	8446
21.	रामपुर	5091
22.	बिजनौर	3406
23.	ज्योतिबा फुले नगर	235
24.	झांसी	5248
25.	ललीतपुर	3517
26.	जालौन	2636
27.	बान्दा	3141
28.	हमीरपुर	1175
29.	महोबा	427
30.	सी-शाहूनगर	101
31.	लखनऊ	6055
32.	राय बरेली	4815
33.	लखीमपुर	3707
34.	सीतापुर	3533
35.	उन्नाव	3669
36.	हरदोई	3413
37.	इलाहाबाद	10972
38.	फतेह पुर	4006
39.	प्रतापगढ़	3607
40.	कौशाम्बी	132
41.	कानपुर सिटी	7045
42.	कानपुर देहात	5882
43.	इटावा	5031
44.	कनौज	—
45.	औरिया	—
46.	फरूखाबाद	9695
47.	वाराणसी	13038
48.	जौनपुर	4629
49.	गाजीपुर	4802
50.	चन्दौसी	203
51.	मिर्जापुर	4685
52.	सोनभदरा	2475
53.	भादोही	449
54.	बस्ती	3666
55.	कबीर नगर	—
56.	सिद्धार्थ नगर	1973
57.	गोरखपुर	3657
58.	देवरिया	4314
59.	महारगंज	2257
60.	कुशी नगर	350
61.	आजमगढ़	3170
62.	बलिया	5437
63.	माऊ	2335
64.	फैजाबाद	4991
65.	बाराबांकी	5283
66.	सुल्तानपुर	5907
67.	अम्बेडकर नगर	252
68.	गोंडा	4335

क्र०सं०	जिले का नाम	31 मार्च, 98 तक इकाइयों की सं०
69.	बेहराइच	3663
70.	श्रावस्ती नगर	94
71.	बालमपुर	73
72.	देहरादून	2569
73.	पौड़ीगढ़वाल	2643
74.	तेहरी गढ़वाल	2550
75.	चमोली	2548
76.	रुद्रप्रयाग	48
77.	उत्तर काशी	2045
78.	नैनीताल	3858
79.	अल्मोड़ा	4441
80.	पिथौड़ागढ़	2160
81.	बगेश्वर	—
82.	चम्पावत	—
83.	उधमसिंह नगर	783
84.	नोएडा	3980
85.	ग्रेटर नोएडा	30
	राज्य कुल	342812

स्रोत: आयुक्त तथा उद्योग निदेशक का कार्यालय, उत्तर प्रदेश सरकार, उद्योग भवन, जी०टी० रोड़, कानपुर-208001.

Compensation by DDA for acquired land

*395. SHRIMATI MALTI SHARMA: SHRI RAJ NATH SINGH:

Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the public Notice No. F-20(6)96-M.P. dated the 15th January, 1999, wherein DDA had asked for objections and suggestions from residents of Bapraula village in Najafgarh and adjoining areas;

(b) whether Government have acquired the above land measuring 303 acres and has paid the compensation to the original land holders;

(c) if so, the details thereof and when was this compensation paid; and

(d) if not, the basis for DDA issuing such notifications for such land which does not belong to DDA?

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI): (a) The DDA has reported that a public notice inviting objections/suggestions for change of land-use of an area measuring 125 ha. in village Bapraula proposed for public and semi-public facilities (District Open Jail) has been published by DDA *vide* Notification No. F.-20(6)/96-M.P. dated 15.1.99.

(b) and (c) Acquisition of the land is in progress. Planning clearance for acquisition has been given by DDA. Compensation is paid to the original owners of the land from whom land has been acquired under Land Acquisition Act, 1894.

(d) The process of change of land use is done under section 11(A) of Delhi Development Act, 1957 for which the ownership of land by the DDA is not necessary.

Recruitment in ESIC

*396. SHRI K.M. KHAN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Employees State Insurance Corporation in order to recruit 118 Insurance Inspectors/Managers Grade IV Superintendents have invited applications from open market in recent past;

(b) if so, the criteria to be adopted for such recruitment;

(c) whether some of such recruitments will be made for Delhi offices of E.S.I.Cs;

(d) if so, the details thereof, category-wise; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) Yes, Sir.